

तिथि

पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर

पारित
आदेश पर
अनुपालन

न्यायालय अपर समाहर्ता, गिरिडीह ।

केस का प्रकार.....परमिशन.....

केस सं०.....१०.....वर्ष 2014

काश्तकारी अधिनियम की धारा 1908 की धारा 46(i)(b) के तहत परमिशन
हेतु आदेश पत्र।

श्री/श्रीमति श्री भोला हजाम पिता स्व. तिलक हजाम, साकिन बदडीहा थाना धनवार, जिला गिरिडीह से संबंधित भूमि जिसका ब्यौरा निम्नवत् है, श्रीमती विमला देवी पति त्रिभुवन शर्मा एवं गुडिया देवी पति जालेश्वर कुमार साकिन बदडीहा, थाना धनवार, जिला गिरिडीह के साथ *जमीन वसियत/विक्री/लीज हेतु काश्तकारी अधिनियम की धारा-46(i)(b)के तहत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है आम इश्तहार जारी करें। अंचल अधिकारी, धनवार से जाँच प्रतिवेदन मंतव्य सहित मॉग करें। किसी व्यक्ति को यदि आपत्ति पत्र दाखिल करना है तो दिनांक.....29.11.14.....तक अपना आपत्ति दाखिल कर सकते है।

भूमि का ब्यौरा

मौजा	थाना एवं थाना नं०	खाता नं.	प्लॉट नं.	विक्री रकवा(एकड़ में)
1	2	3	4	5
बदडीहा	धनवार 66	28	१७४	0.52¼
कुल रकवा बावन डीसमिल एक बट्टा चार)				0.52¼


लेखापित


अपर समाहर्ता,
गिरिडीह।अपर समाहर्ता,
गिरिडीह।

14/10/18

अभिलेख उपस्थापित / सूचना का लामिला
 प्राप्त है अथवा नहीं, स्पष्ट नहीं है।
 यह आवेदन जन 2014 से संबन्धित है।
 पक्षकार द्वारा अब तक चैरली नहीं की गई है।
 धन: इस मामले की कार्रवाई समाप्त
 की जाती है।


लेखापित



 14/10
 अपर समाहर्ता
 गिरिडीह।


 14/10

अपर समाहर्ता
 गिरिडीह।

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	स्थान	व्यक्ति
1
2
3
4


 गिरिडीह


 गिरिडीह